इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल 2024—चैत्र 23, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

I, Army Name Sital Singh Sidhu S/o Late Shri Pritam Singh R/o House No. 816/8, Near Janta School Bilhari Jabalpur (M.P.) I have change of my name from Sital Singh (Name as per my PPO) to my name Sital Singh Sidhu (Name as per my) Aadhaar Card.

Old Name	New Name
(SITAL SINGH)	**(SITAL SINGH SIDHU)**

(G-735)

CHANGE OF NAME

I, ARMY NAME SATNAM SINGH GILL S/O NIRMOLAK SINGH GILL, R/o House H. NO. 5, MANDLA ROAD, NEAR POST OFFICE JABALPUR (M.P.). I have change of my name from SATNAM SINGH and my wife name NIRMAL, KAUR (name as per my PPO) to my name SATNAM SINGH GILL my AADHAR CARD and my wife name NIRMAL KAUR GILL (name as per my wife AADHAR CARE).

Old Name	New Name
(SATNAM SINGH NIRMAL KAUR)	**(SATNAM SINGH GILL)** (NIRMAL KAUR GILL)

(G-736)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम दिव्यांश जालोनिया पिता कमलेश जालोनिया (Divyansh Jaloniya S/o Kamlesh Jaloniya) था. मेरे पूर्व पति से तलाक के बाद मैंने दूसरा विवाह कर लिया है एवं मेरा पुत्र अब आदित्य जटिया के नाम से जाना–पहचाना जाता है. उपरोक्त दोनों नाम मेरे पुत्र के ही हैं. भविष्य में मेरे पुत्र को उसके नए नाम आदित्य जटिया (Aditya Jatiya) से जाना–पहचाना व लिखा पढ़ा जावे सो विदित हो

पुराना नाम
(DIVYANSH JALONIYA)

नया नाम
(आदित्य जटिया)
संरक्षक–अलका जटिया पत्नी श्री नागेश्वर जटिया,
निवासी–91, शिव सिटी सिल्वर स्ट्रीट नं. 3,
ए. बी. रोड, इन्दौर.

(G-737)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स श्री राम सागर कंस्ट्रक्शन जिसका पंजीयन क्रमांक 03–27–01–0138–19 व पंजीयन दिनांक 27–8–2019 तथा पता 121, अवंतिका नगर, इंदौर, जिला इंदौर है. जिसमें प्रथम विलेख 1–4–2011 वाले भागीदारी विलेख में 3 भागीदार 1. श्री राजीव कुमार रंजन पिता श्री राम सागर चौधरी, 2. श्री विजय कुमार सिंह पिता श्री श्रीकांत सिंह, 3. श्री राहुल कुमार चौधरी पिता श्री राम नंदन चौधरी थे. दिनांक 15–5–2014 को फर्म में 1 नए साझेदार, 1. श्री संजीव कुमार चौधरी पिता श्री राम सागर चौधरी शामिल हो गए. तत्पश्चात दिनांक 3–5–2016 को फर्म में एक नयी भागीदार श्रीमती अर्चना चौधरी पति श्री संजीव कुमार चौधरी फर्म में भागीदार के रूप में शामिल हो गई तत्पश्चात दिनांक 4–6–2018 को फर्म के 1 भागीदार श्री विजय कुमार सिंह फर्म से रिटायर हो गए. इसी प्रकार दिनांक 1–7–2020 को फर्म की एक भागीदार श्रीमती अर्चना चौधरी रिटायर हो गयी. दिनांक 10–2–2024 को फर्म का पता बदलकर नया पता प्लॉट नं. 6 मांगलिया स्पेस ओमैक्स सिटी 2, इंदौर हो गया तथा वर्तमान में फर्म में शेष तीन भागीदार हैं. जो इस प्रकार हैं :–1. श्री संजीव कुमार चौधरी पिता श्री राम सागर चौधरी, 2. श्री राजीव कुमार रंजन पिता श्री राम सागर चौधरी, 3. श्री राहुल कुमार चौधरी पिता श्री राम नंदन चौधरी हैं. जो आमजन व सर्वजन को सूचित हों.

फर्म–मेसर्स श्री राम सागर कंस्ट्रक्शन,
(राहुल कुमार चौधरी)
भागीदार
पता–209, हाई स्ट्रीट अपार्टमेंट ओमैक्स,
सिटी 2 माँगलिया, इन्दौर (म.प्र.).

(G-738)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s SHRI VINAYAK ASSOCIATES, पता–G–2, मोदी हाउस, (होटल लैण्डमार्क के सामने), पुराना झाँसी रोड, ग्वालियर 474002, जिसका रजिस्ट्रेशन कमांक 02–42– 01–0115–23, दि. 12–9–2023 है. जिसमें दिनांक 12–3–2024 को श्रीमती चन्द्रकला सिंह पत्नी श्री राजेन्द्र नारायण सिंह, पता–302 ममफोर्डगंज, इलाहाबाद (प्रयागराज) उत्तरप्रदेश अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से अलग हो गयी है तथा जिसमें दिनांक 12–3–2024 को (1) राजकुमार अग्रवाल पिता श्री नरेश अग्रवाल, (2) हर्ष अग्रवाल पिता श्री नरेश अग्रवाल, निवासीगण–11, मुरार इन्क्लेव, गोला का मंदिर, ग्वालियर को नये भागीदार के रूप में फर्म M/s SHRI VINAYAK ASSOCIATES पता–G–2, मोदी हाउस, (होटल लैन्डमार्क के सामने), पुराना झाँसी रोड, ग्वालियर 474002 में प्रवेश हुआ है तथा दिनांक 12-3-2024 से फर्म M/s SHRI VINAYAK ASSOCIATES वर्तमान पता G–2, मोदी हाउस, (होटल लैन्डमार्क के सामने), पुराना झाँसी रोड, ग्वालियर 474002 पर पूर्ववत कार्यरत रहेगी.

वर्तमान में इस फर्म M/s SHRI VINAYAK ASSOCIATES में निम्न भागीदार रहेंगे.

1. श्रीमती बसन्ती अग्रवाल, 2. श्री राज कुमार अग्रवाल, 3. श्री हर्ष अग्रवाल

वास्ते–मैसर्स श्री विनायक एसोसिएट्स,
(CHANDRAKALA SINGH)
भागीदार.

(G-739)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरा पूर्व का नाम अन्नू D/o ईश्वरलाल पमनानी विवाह पूर्व अनिता पमनानी D/o ईश्वरलाल पमनानी था. जबकि विवाह उपरांत मेरा नाम सोनल आहूजा W/o राजेश आहूजा के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं मेरे अन्य प्रपत्रों जैसे आधारकार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में मेरा नाम सोनल आहूजा है. एवं भविष्य में सोनल आहूजा W/o राजेश आहूजा के नाम से जानी–पहचानी एवं पुकारी जाउंगी एवं हस्ताक्षर करती हूँ. ये तीनो नाम मेरे ही हैं.

पुराना नाम

(अन्नू/अनीता पमनानी)

नया नाम

(सोनल आहूजा)

पता–एम. आई. जी. 43, वार्ड नं. 5, पानी की टंकी के पास पदमधर कॉलोनी ढेहका, हुजुर, रेवा, रीवा, (म.प्र.).

(G-740)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की पूर्व में मेरा नाम सुनील परमार पिता गौरी शंकर परमार (Sunil Parmar S/o Gaurishankar Parmar) था. पर अब मैंने अपना नाम बदलकर शरण्य शास्त्री पिता गौरी शंकर (Sharanya Shastri S/o Gourishankar) कर लिया है. उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम शरण्य शास्त्री पिता गौरीशंकर (Sharanya Shastri S/o Gourishankar) से जाना–पहचाना व लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(सुनील परमार)

नया नाम

(शरण्य शास्त्री)

निवासी–167, सुख निवास नगर कैट रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-741)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विक्रांत राजपूत (VIKRANT RAJPUT) पिता स्व. श्री शिवनारायण राजपूत, निवासी–क्वार्टर न. एच 16 गंगा ब्लाक रेड़ियों पुलिस लाईन रांझी, तह. व जिला जबलपुर. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम विक्रांत सिंह राजपूत (VIKRANT SINGH RAJPUT) तथा पिता का नाम स्व. श्री शिवनारायण सिंह राजपूत (SHIVNARAYAN SINGH RAJPUT) दर्ज है. मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक तथा शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम विक्रांत राजपूत (VIKRANT RAJPUT) तथा पिता का नाम स्व. श्री शिवनारायण राजपूत (SHIVNARAYAN RAJPUT) लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(विक्रांत सिंह राजपूत)
(VIKRANT SINGH RAJPUT)
पिता–स्व. श्री शिवनारायण सिंह राजपूत,
(SHIVNARAYAN SINGH RAJPUT)

नया नाम

(विक्रांत राजपूत)
(VIKRANT RAJPUT)
पिता–स्व. श्री शिवनाराण राजपूत,
(SHIVNARAYAN RAJPUT)

(G-742)

PUBLIC NOTICE

(U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)

Notice is hereby given that the firms "M/s JEET HOMES" of Bhopal vide Reg. No. 01-01-01-00469-12 Year 2011-2012 Bhopal dated of Registration 10-02-2012 undergone the following changes:-

That the all partners are agreed for their profit sharing ratios and the registered office of the firm shall be at H.No.-01, Jeet Homes, Near infant Jesus Church, Vrindavan Nagar, Ayodhya Bye-pass Road, Bhopal (M.P.) w.e.f. 22/02/2024.

M/s JEET HOMES
(JITENDRA SINGH RAJPUT)
Partner.

(G-743)

उपनाम परिवर्तन

मैं, रविशंकर शर्मा पिता–श्री बी. एल. शर्मा, आयु लगभग–43 वर्ष निवासी–317, खलासी लाईन, हनुमान जी के अखाड़े के पास छोटी ओमती, जबलपुर (म.प्र.). मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं रिकार्ड में मेरा नाम रवि शंकर राव पिता श्री बुद्धू लाल राव लिखा है, परंतु मेरे समस्त दस्तावेज आधारकार्ड, पेनकार्ड व अन्य दस्तावेजों आदि में मेरा नाम रवि शंकर शर्मा पिता श्री बी. एल. शर्मा के नाम से दर्ज है.

अतः मुझे भविष्य में रवि शंकर शर्मा पिता श्री बी. एल. शर्मा के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे तथा सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में यही नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रवि शंकर राव)
पिता–श्री बुटूलाल राव

नया नाम
(रविशंकर शर्मा)
पिता–श्री बी. एल. शर्मा.

(G-744)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा पूर्व मे नाम कमलेश विश्वकर्मा पिता दिलीप विश्वकर्मा (KAMLESH VISHWAKARMA S/o DILIP VISHWAKARMA) था, अब मेरा नाम परिवर्तन/बदलकर कार्तिक विश्वकर्मा पिता दिलीप विश्वकर्मा (KARTIK VISHWAKARMA S/o DILIP VISHWAKARMA) हो गया है. अतः भविष्य में मुझे कार्तिक विश्वकर्मा पिता दिलीप विश्वकर्मा (KARTIK VISHWAKARMA S/o DILIP VISHWAKARMA) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(कमलेश विश्वकर्मा)
(KAMLESH VISHWAKARMA)

नया नाम
(कार्तिक विश्वकर्मा)
(KARTIK VISHWAKARMA)
पिता–दिलीप विश्वकर्मा
(DILIP VISHWAKARMA)

(G-745)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स–स्वर्णिम कला ग्रुप कन्सलटेंसी, जबलपुर पंजी. क्र. 00094–12 दि. 29–6–12 को पंजीयत है. जिसमें दो भागीदर 1. रश्मि पोर्ते पिता श्री के. ए. सिंह पोर्ते, 2. श्री के. एन. सिंह पोर्ते पिता स्व. श्री छोटे लाल पोर्ते भागीदार हैं. भागीदार 1. रश्मि पोर्ते पिता श्री के. एन. सिंह पोर्ते कांचघर, जबलपुर दि. 1–3–2024 से फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो रही हैं, तथा उक्त दिनांक से ही श्री अमित पोर्ते पिता श्री के. एन. सिंह पोर्ते फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं. वर्तमान में फर्म का नाम मेसर्स–स्वर्णिम कला ग्रुप कन्सलटेंसी है. अब फर्म का नाम परिवर्तन कर नाम मेसर्स–पोर्ते कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है. अतः किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म को कोई अपत्ति हो तो फर्म कार्यालय में सात दिवस के भीतर अपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

M/s Portey Construction,
(के. एन. सिंह पोर्ते एवं अमित पोर्ते)
पार्टनर
स्वर्णिम कला ग्रुप कन्सलटेंसी,
4107, कांचघर पुलिस लाईन, जबलपुल (म.प्र.).

(G-746)

उपनाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, कमलेश कुमार आत्मज श्री शंभू प्रसाद मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कमलेश कुमार दर्ज है, मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिचय पत्र में मेरा नाम कमलेश बंसल दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत कमलेश कुमार के स्थान पर कमलेश बंसल के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कमलेश कुमार)

नया नाम
(कमलेश बंसल)
पता–छटवीं बटालियन, पुरानी फैमली लाईन,
नर्मदा ब्लॉक, क्वार्टर नंबर 8, थाना रांझी,
तहसील रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.).

(G-747)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे बचपन का नाम चंचल कॅवर था और यही नाम मेरे स्कूल स्थानातंरण प्रमाण–पत्रों पर अंकित है एवं मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा वास्तविक नाम खुशबु राठौर दर्ज/अंकित है. उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही है एवं भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम खुशबु राठौर के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम
(चंचल कॅवर)

नया नाम
(खुशबु राठौर)
पता–103, नार्थ तोडा, अग्रवाल नगर,
इंदौर (म.प्र.).

(G-748)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ. मेरा पुराना नाम–कु. सुभाषिनी शांडिल्य है, जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेज एवं आधार कार्ड में दर्ज है. मेरे द्वारा अपना नया नाम–कु. सुभाषिनी ईशानी शांडिल्य (SUBHASHINI ESHANI SHANDILYA) कर लिया है. अब मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना और दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सुभाषिनी शांडिल्य)

नया नाम
(सुभाषिनी ईशानी शांडिल्य)
पता–शंकर नगर कॉलोनी,
विदिशा (म.प्र.).

(G-749)

नाम परिवर्तन

मैं, तेजस्वी गुर्जर (TEJASWI GURJAR) पिता भेरूलाल गुर्जर, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पूर्व का नाम तेजी (TEJE) था, जो मेरे आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि भविष्य में तेजस्वी गुर्जर (TEJASWI GURJAR) पिता भेरूलाल गुर्जर के नाम से जानी–पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, अतः मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम तेजी पिता भेरूलाल गुर्जर के स्थान पर तेजस्वी गुर्जर पिता भेरूलाल गुर्जर लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(तेजी)
पिता–भेरूलाल

नया नाम
(तेजस्वी गुर्जर)
पिता–भेरूलाल गुर्जर,
निवासी–आवरी, तह. सीतामऊ,
जिला मंदसौर (म.प्र.).

(G-750)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजा मियां आत्मज श्री अब्दुल सलाम, निवासी 121, देवकी नगर करौंद, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधारकार्ड में उसका नाम अनस पुत्र राजा मियां नाम अंकित है. मेरे पुत्र का नाम परिवर्तन कर अनस पुत्र राजा मियां के स्थान पर आर्यन पुत्र राजा मियां करवाना चाहते हैं. जो कि सत्य व सही हैं. अतः भविष्य में सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में आर्यन पुत्र राजा मियां पढ़ा एवं लिखा जावे.

भवदीय
(राजा मियां)

(G-751)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश्वरी पति श्री महेंद्र चिचवारे, भोपाल निवासी मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राजश्री चिचवारे अंकित हो गया. जबकि मेरा सही नाम राजेश्वरी चिचवारे है. जो मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः मुझे मेरे सही नाम राजेश्वरी पति महेंद्र चिचवारे के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(राजश्री)

नया नाम
(राजेश्वरी चिचवारे)
पता–शेड नं. 348, शिवनगर कॉलोनी,
साहू आटा चक्की के पास,
आनंद नगर,भोपाल (म.प्र.).

(G-752)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया ज़ाता है कि, मैं, सीता सोनी पत्नी श्री माधो सोनी, निवासी–वार्ड नं. 9 मुखर्जी वार्ड शिवालय चौक, बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). यह कि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम सीता सोनी दर्ज है. परन्तु मेरे आधारकार्ड में मेरा नाम मधु रानी दर्ज है. उक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के ही हैं. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सीता सोनी के नाम से ही जाना–पहचाना दर्ज किया जावें.

पुराना नाम
(मधु रानी)

नया नाम
(सीता सोनी)
(Sita Soni)
पत्नी–श्री माधो सोनी.

(G-753)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का पूर्व नाम अनाया शर्मा है, कतिपय कारणों से अब उसका नाम अनाया शर्मा से परिवर्तित कर धारिका शर्मा (Dharika Sharma) रखा गया है.प्रकाशन के पश्चात् मेरी पुत्री को अनाया शर्मा के स्थान पर धारिका शर्मा के नाम से जाना जावे.

भवदीय
(अभिजीत शर्मा)
पुत्र–प्रसन्न कुमार शर्मा,
पता–ई–7/एच–457,
अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.).

(G-754)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती पूजा श्रीवास्तव पति श्री ठाकुरदास सिंह राजपूत, निवासी–जिला भोपाल मेरे पुत्र आर्याश सक्सैना (AARYANSH SAKSENA) पुत्र समर्थ सक्सेना जो उसके शैक्षणिक रिकार्ड में दर्ज है. मेरा पुनः विवाह श्री ठाकुरदास सिंह राजपूत आत्मज श्री सोबरन सिंह राजपूत से हो जाने के कारण मेरे पुत्र का नाम आर्यांश सिंह राजपूत (AARYANSH SINGH RAJPOOT) पुत्र समर्थ सक्सैना संरक्षक श्री ठाकुरदास सिंह राजपूत कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत नया नाम आर्यांश सिंह राजपूत (AARYANSH SINGH RAJPOOT) पुत्र समर्थ सक्सैना संरक्षक श्री ठाकुरदास सिंह राजपूत के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(पूजा श्रीवास्तव)

(G-755)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तोफान सिंह ठाकुर, निवासी– ए–07, माया इन्क्लेव, नबिबाग, बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे बेटे का नाम स्कूल के रिकार्ड में कार्तिक (Kartik) दर्ज है. परन्तु उसके सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में कार्तिक ठाकुर नाम अंकित है. जो कि सही है. अतः . भविष्य में मेरे बेटे को उसके सही नाम कार्तिक ठाकुर (Kartik Thakur) पिता श्री तोफान सिंह ठाकुर (Tophan Singh Thakur) लिखा एवं पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कार्तिक)
(KARTIK)

नया नाम
(कार्तिक ठाकुर)
(KARTIK THAKUR)
पिता–श्री तोफान सिंह ठाकुर.

(G-756)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीपक जाटव पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद जाटव, निवासी–7/5, सोमनाथ की जुनी चाल. खगार क्षत्रीय धर्मशाला के पीछे, इन्दौर (म.प्र.). मेरे उक्त नाम से शासकीय/अशासकीय, दस्तावेजों आदि बने हुए हैं, मुझे वर्तमान में दीपक जाटव पुत्र श्री रामप्रसाद सिंह जाटव के नाम से जाना–पहचाना जाता है. अब मेरा नया नाम मेरे समस्त दस्तावेजों में दीपक जाटव के स्थान पर नया नाम दीपक सिंह पुत्र श्री स्व. रामप्रसाद सिंह लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(दीपक जाटव)
पुत्र–स्व. श्री रामप्रसाद जाटव.

नया नाम
(दीपक सिंह)
निवासी–7/5, सोमनाथ की जुनी चाल,
खगार क्षत्रीय धर्मशाला के पीछे,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-757)

नाम परिवर्तन

मैं, मदन मोहन पाण्डेय आत्मज श्री छोटेलाल पाण्डेय, निवासी–जी–8/103, न्यू, 228 क्वाटर्स, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश. सूचित करता हूँ कि मेरी सर्विस बुक में मेरा नाम मदन मोहन दर्ज है. जबकि मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम मदन मोहन पाण्डेय है. जो कि सही एवं सत्य है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मदन मोहन)

नया नाम
(मदन मोहन पाण्डेय)

(G-758)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एस. डी. बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज, पता–01, बागचीनी चौराहा के सामने, एम.एस. रोड, मुरैना (म.प्र.) में है. जिसका पंजीयन क्रमांक 02–44–01–0135–19, दिनांक 20–8–2019 है. जिसमें दिनांक 25–7–2019 को श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री बालमुकुंद जी गुप्ता एवं श्रीमती बबली गोयल पत्नी ब्रजेश गोयल को नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं एवं श्री अभिषेक गोयल पुत्र श्री भागीरथ गोयल फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 17–8–2023 को श्री राजकुमार गोयल पुत्र श्री रामनिवास गोयल एवं श्रीमती अनीता गोयल पत्नी श्री राजकुमार गोयल एवं श्रीमती बबली गोयल पत्नी ब्रजेश गोयल फर्म से सभी भागीदारों की सहमति से पृथक किया जा रहा है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म–मेसर्स एस. डी. बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज
(रॉबिन गोयल)
भागीदार

(G-759)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों में पिताजी का नाम हमीद खां/ए. हमीद अंकित है. जो त्रुटिपूर्ण है. जबकि अन्य शासकीय दस्तावेजों में सही नाम सादिक हुसैन मन्सूरी पिता अब्दुल हमीद मन्सूरी है जो कि सही है, प्रकाशन के उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना जावेगा.

पुराना नाम
(सादिक हुसैन हमीद खां)

नया नाम
(सादिक हुसैन मन्सूरी)
पिता–अब्दुल हमीद मन्सूरी,
पता–27/1, जूना रिसाला,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-760)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ प्रार्थी श्री भगवान अग्रवाल पिता श्यामलालजी अग्रवाल के पूर्व के राजस्व अभिलेख दस्तावेजों में संजय गुप्ता पिता श्यामलाल गुप्ता नाम अंकित रहा है. वर्तमान में मैं, प्रार्थी श्री भगवान अग्रवाल पिता श्यामलालजी अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ. दोनों ही नाम मुझ प्रार्थी के होकर मैं, एक ही व्यक्ति हूँ. भविष्य में मुझे श्री भगवान अग्रवाल पिता श्यामलालजी अग्रवाल के नाम से जाना–पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम
(संजय गुप्ता)
पिता–श्यामलाल गुप्ता,

नया नाम
(भगवान अग्रवाल)
पिता–श्यामलालजी अग्रवाल,
निवासी–सैलाना रोड, अलकापुरी कॉलोनी,
रतलाम (म.प्र.).

(G-761)

नाम परिवर्तन

सर्वसराधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र विजय तिवारी की शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम सुरेन्द्र तिवारी अंकित हो गया है. जबकि मेरा सही नाम चतुर्भुज तिवारी है. अतः मेरे पुत्र विजय तिवारी के शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा सही नाम चतुर्भुज तिवारी पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(सुरेन्द्र तिवारी)

नया नाम
(चतुभुर्ज तिवारी)
पता–15/9, परदेशीपुरा, इन्दौर (म.प्र.).

(G-762)

CHANGE OF NAME

I, Hereby declare that, my son's old name was Divvya Satwani. But now we have change it from Divvya Satwani to Kiyansh Satwani. Henceforth my son's all documents (including school) his new name will be written Kiyansh Satwani for all purposes.

Applicant

(PAWAN SATWANI)

(Father)

Address- 199, Vinay Nagar, Kesar Bag Road,

Indore (M.P.).

(G-763)

CHANGE OF NAME

I, Yukti Vijay D/o Dr. S. K. Vijay, R/o A-244, Palivi Nagar, Bawadia Kalan, Huzur, Bhopal (M.P.) declare that I am the mother of Ms. Keshvi Balachandani. I need to get the name of my daughter changed. From now on the correct name of my daughter will be "Keshvi Yukti Vijay" instead of "Keshvi Balachandani".

भवदीय,

(युक्ति विजय)

(माता)

पता–ए–244ए, पल्लवी नगर,

बावडियाकलां, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-764)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि KRISHNA RICE MIL (कृष्णा राईस मिल) ग्राम–बनाभेडा, तह.–शाहपुर, जिला–बैतूल के नाम से एक भागीदारी फर्म है. जिसका पंजीयन क्र. 01–06–02–0374–24, सन् 2023–2024, दिनांक 31–01–2024 है. जिसके उपरोक्त नाम में संशोधन किया गया है. जिसके अनुसार नया नाम KRISHNA RICE MILL होगा.

For-Krishna Rice Mill

(कौशिक अग्रवाल)

पार्टनर.

(G-765)

नाम परिवर्तन—

मैं, मानवी खटवानी (MANVI KHATWANI), निवासी–हाउस नं. 250, वार्ड नं. 19, शासकीय विद्यालय मैदान, सिन्धी केम्प, सतना, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना (म.प्र). शादी के पूर्व का मेरा नाम पूर्वी बरयानी (POORVI BARYANI) पुत्री अमर बरयानी (AMAR BARYANI) था. जो कि मेरी शादी के पूर्व रिकार्ड में दर्ज है. मेरा विवाह आकाश खटवानी (AAKASH KHATWANI) के साथ हुआ है. तब से मेरा नाम मानवी खटवानी (MANVI KHATWANI) पति श्री आकाश खटवानी (AAKASH KHATWANI) हो गया है. मेरे सभी रिकार्ड व दस्तावेजों में मुझे नये नाम मानवी खटवानी (MANVI KHATWANI) लिखा, पढ़ा जाना व समझा जाए.

पुराना नाम

(पूर्वी बरयानी)

(POORVI BARYANI)

पुत्री–अमर बरयानी

(AMAR BARYANI)

नया नाम

(मानवी खटवानी)

(MANVI KHATWANI)

पति–श्री आकाश खटवानी

(AAKASH KHATWANI)

(G-766)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक लोक न्यास अनुभाग राऊ, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 19 मार्च 2024

(फार्म–चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस–1951) की धारा 4 के अन्तर्गत]

क्र. 1729–री.राऊ–2024.–दाउदी बोहरा जमात ट्रस्ट अल–अकमर मोहल्ला, इन्दौर को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते है.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	दाउदी बोहरा जमात ट्रस्ट अल–अकमर मोहल्ला, इन्दौर.
पता	:	कार्यालय–47, 48, ओएसिस बिल्डिंग, शिवालय बिजलपुर, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	11,000/–

आज दिनांक 19 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-767)

(फार्म–चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस–1951) की धारा 4 के अन्तर्गत]

क्र. 1722–री.राऊ–2024.–मां श्रृंगार गौरी धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते है.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	मां श्रृंगार गौरी धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास
पता	:	103, गोपुर कॉलोनी, अन्नपूर्णा रोड़, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	11,000/–

आज दिनांक 19 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-768)

विनोद राठौर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

जूनी इन्दौर, दिनांक 11 जनवरी 2024

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 2127–रीडर–1–23.–आवेदक इन्दौर चाय व्यापारी पारमार्थिक ट्रस्ट, पता–स्कीम नं. 78, विजय नगर, ए. बी. रोड, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल संपत्ति का विवरण)

इन्दौर चाय व्यापारी पारमार्थिक ट्रस्ट, पता–स्कीम नं. 78, विजय नगर, ए. बी. रोड, इन्दौर.

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : 75,000

आज दिनांक 11 जनवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-769) **घनश्याम धनगर,** रजिस्ट्रार.

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, उपखण्ड–जावरा, जिला रतलाम मध्यप्रदेश

प्र.क्र./0004/ब–113/2023–24. जावक क्रमांक 1058–रीडर–3–2024

जावरा, दिनांक 18 मार्च 2024

फार्म–4

[नियम–5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) के तहत् के अंतर्गत]

आवेदक श्री श्री बालाराम पिता मांगीलाल सोलंकी, रपट रोड, पुलिया के पास जावरा, जिला रतलाम द्वारा के श्री हिंगलाज माता मंदिर पब्लिक चेरिटेबल एवं पारमार्थिक ट्रस्ट मह्, नीमच रोड जावरा, पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम धारा 4(2) (म.प्र.) पब्लिक ट्रस्ट 1951 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रुप में पंजीकृत किये जाने से लिए आवेदन किया गया हैं, एतदद्वारा सूचना–पत्र दिया जाता हैं, कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर प्रकरण में सुनवाई दिनांक 1–4–2024 को न्यायालय उपखण्ड कार्यालय जावरा, जिला रतलाम पर दोप. 3.00 बजे की जावेगी.

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं, कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का पुरा नाम व पता : श्री हिंगलाज माता मंदिर पब्लिक चेरिटेबल एवं पारमार्थिक ट्रस्ट महू, नीमच रोड जावरा रपट रोड, पुलिया के पास जावरा, जिला रतलाम.
2. चल सम्पत्ति का विवरण : निरंक
3. अचल सम्पत्ति का विवरण : निरंक

आज दिनांक 18 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(G-770) **राधा महंत,** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, पंजीयक सार्वजनक लोक न्यास, उपखण्ड–बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र./ /बी–113/2023–24.

[नियम पाँच (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत]

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष आवेदक/अध्यक्ष श्री सकलपंच नाथ जोगी समाज बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष प्रदीपनाथ पिता जगन्नाथजी रावल, निवासी–गंगा नगर शहर, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा एक आवेदन–पत्र पेश कर श्री सकलपंच नाथ जोगी समाज बुरहानपुर ट्रस्ट का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया. एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन–पत्र दिनांक 29–2–2024 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ती या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और उपरोक्त अवधि में मेरे समक्ष या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार में नहीं लिया जावेगा :–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. नाम श्री सकलपंच नाथ जोगी समाज ट्रस्ट बुरहानपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर एवं अध्यक्ष प्रदीपनाथ पिता जगन्नाथजी रावल, निवासी गंगा नगर शहर, तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
2. चल सम्पत्ति : 1,20,000/– रुपये.
3. अचल सम्पत्ति : 3200 वर्गफीट (अनुमानित मूल्य 11,00,000/– रुपये).

जारी दिनांक 29 फरवरी 2024

(G-771)

प्र.क्र./ /बी–113/2023–24.

[नियम पाँच (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत]

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह की आवेदक/अध्यक्ष नाथ जोगी समाज ट्रस्ट अम्बेडकर वार्ड महाजनापेठ, बुरहानपुर (म.प्र.). द्वारा अध्यक्ष नीलकंठ रघुनाथ जाधव,

निवासी–मालीवाडा हनुमान साईजींग के पीछे बुरहानपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 4 (म.प्र.) लोक न्यास अधिनियम, 1951 के तहत् पेश कर नाथ जोगी समाज ट्रस्ट, मालीवाडा हनुमान साईजींग के पीछे बुरहानपुर, का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया. एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन–पत्र दिनांक 11–3–2024 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ती या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और उपरोक्त अवधि में मेरे समक्ष या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार में नहीं लिया जावेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. नाम नाथ जोगी समाज ट्रस्ट, मालीवाडा हनुमान साईजींग के पीछे बुरहानपुर, 450331
2. वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष श्री नीलकंठ रघुनाथ जाधव, निवासी–मालीवाडा हनुमान साईजींग के पीछे, बुरहानपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर.
3. चल सम्पत्ति : 5000/– रुपये.
4. अचल सम्पत्ति : –

जारी दिनांक 11 मार्च 2024

(G-772) **पल्लवी पुराणिक,** पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट वृत्त गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र.–467–अ.वि.अ./वृतगो.–24. भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2024

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

जैसा कि आवेदक संस्था श्री योगेश्वर पंचमुखी हनुमान जी मंदिर न्यास ट्रस्ट, भोपाल (म.प्र.), पता–म.नं. 18, भवानी केम्पस, फेस–02, नरेला जोड, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.) के द्वारा (म.प्र.) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन–पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 2024 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	श्री योगेश्वर पंचमुखी हनुमान जी मंदिर न्यास ट्रस्ट, भोपाल म.नं. 18, भवानी केम्पस, फेस–02, नरेला जोड, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.).
न्यास कार्यालय का पता	:	म.नं. 18, भवानी केम्पस, फेस–02, नरेला जोड, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	1001

(G-773) **रवीश श्रीवास्तव,** अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकरी, दमोह, मध्यप्रदेश

क्र.–720. दमोह, दिनांक 5 मार्च 2024

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दमोह, जिला दमोह के समक्ष.

प्रारूप–क्र. 04

[देखिए नियम–5(1)]

यतः अध्यक्ष अमर कुमार जैन ट्रस्ट श्री धर्मनाथ दिगम्बर जैन मंदिर समिति, वैशालीनगर, ग्राम चौपरा खुर्द, तहसील दमयंतीनगर, जिला दमोह के लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 अंतर्गत एक आवेदन–पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 8–4–2024 को दोपहर 2.00 बजे मेरे न्यायालय में विचार लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना–पत्र प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जवेगा.

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

श्री धर्मनाथ दिगम्बर जैन मंदिर समिति, वैशालीनगर, ग्राम चौपराखुर्द, तहसील दमयंतीपुरम, जिला दमोह.

अचल संपत्ति–ख. नं. 49/9, 49/7, 49/8 कुल रकबा 7.666 हे. में से 1260 वर्गफुट.

चल संपत्ति–भगवान की प्रतिमाएं–07 पूजा बर्तन, छत्र, कलश, सिंहासन बिजली पंखा इत्यादि.

(G-774)

क्र.–802. दमोह, दिनांक 22 मार्च 2024

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दमोह, जिला दमोह के समक्ष.

प्रारूप क्र.–04

[देखिए नियम–5(1)]

यतः ट्रस्टी श्री महेश कुमार बड़कुल ट्रस्ट श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगम्बर जैन चौधरी मंदिर न्यास, असाटी वार्ड नं. 02 दमोह के लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 अंतर्गत एक आवेदन–पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 23–04–2024 को दोपहर 2.00 बजे मेरे न्यायालय में विचार लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना–पत्र प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगम्बर जैन चौधरी मंदिर न्यास असाटी वार्ड नं. 02, जिला दमोह.

अचल संपत्ति– शीट नं. 27 प्लाट नं. 2439 रकवा लगभग 450 वर्गफुट.

चल संपत्ति–भगवान की प्रतिमाएं–पूजा बर्तन, छत्र, कलश, सिंहासन, बिजली पंखा इत्यादि.

(G-775) **आर. एल. बागरी,** पंजीयक.

न्यायालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

प्र.क्रं.69(2)2023.

[एम.पी.सी.एस.एक्ट 1960 की धारा 69(2) अंतर्गत]

इस कार्यालय के वैधानिक आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–1490, खरगोन, दिनांक 25–8–2023 के द्वारा जल मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या. बामनपुरी, पंजीयन क्रमांक 1435 (दिनांक 9–8–2005) को विभिन्न अनियमितताओं के प्रमाणित पाए जाने के फलस्वरूप (म.प्र.) सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960, (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) की धारा 69(2) के अंतर्गत परिसमापन के अंतर्गत लेते हुए विभागीय सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उपरोक्त आदेश के विरुद्ध बतौर अपीलार्थी श्री कडवा पिता श्री तुकाराम, निवासी–बामनपुरी, तहसील बड़वाह द्वारा न्यायालय संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, इंदौर संभाग, इंदौर (जिसे आगे अपीलीय न्यायालय संबोधित किया गया है) के समक्ष अपील प्रकरण प्रस्तुत किया गया. अपीलीय न्यायालय द्वारा सुनवाई उपरांत पारित निर्णय दिनांक 3–10–2023 के द्वारा यह अवधारित किया कि "अधिनियम की धारा 69(3) के तहत सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है".

उपरोक्त निष्कर्षात्मक विवेचना के आधार पर न्यायालय द्वारा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–1490, खरगोन, दिनांक 25–8–2023 जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 69(1) एवं धारा 69(2) के तहत् अपीलार्थी संस्था जल मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बामनपुरी को परिसमापन में लाया गया था, को निरस्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया कि अधिनियम की धारा 69(3) के तहत् विधिवत कारण बताओं सूचना–पत्र जारी करते हुए अपीलार्थीगण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर समग्र विचारोपरांत एक माह में आदेश प्रसारित किया जाए.

अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–10–2023 इस जिला कार्यालय को दिनांक 18–10–2023 को विधिवत् प्राप्त हुआ तथा उक्त निर्णय की निर्देशित व्यवस्था के परिपालन में अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत अपीलार्थी श्री कडवा पिता श्री तुकाराम को सुने जाने का अवसर देते हुए वैधानिक नोटिस क्रमांक–परिसमापन–2023–2018, खरगोन, दिनांक 31–10–2023 जारी करते हुए दिनांक 20–11–2023 नियत की गई.

निर्धारित दिनांक को अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए. संस्था के परिसमापक व सहकारी निरीक्षक श्री राजाराम भट्ट के माध्यम से व्यक्तिशः सूचना सहित उन्हें पुनः अवसर प्रदान किया गया, फलस्वरूप दिनांक 22–11–2023 को श्री कडवा (अपीलार्थी) श्री घीसालाल (पूर्व अध्यक्ष) श्री दुलीचंद एवं श्री सेवकराम उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने पक्ष समर्थन स्वरूप कोई कथन, तर्क अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए. निष्कर्षतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पुनः सुने जाने की निर्देशित व्यवस्था की परिपूर्णता के उपरांत प्रकरण दोषों के आधार पर निर्णय पारित करने के लिए नियत किया गया.

सुनवाई की पूर्णता उपरांत गान (म.प्र.), राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल (जिसे आगे मान. अधिकरण लिखा जा रहा है) के नोटिस क्रमांक–सह.अधि.–प्री–राईटर–2023–1362, भोपाल, दिनांक 2–11–2023 (कार्यालय में प्राप्त दिनांक 14–11–2023) के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि प्रकरण को द्वितीय अपील के रूप में सुनवाई हेतु लिया गया है. इसी क्रम में इस जिला कार्यालय के संबंधित नस्ती (रिकार्ड) चाहा गया जो कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक–विधि–2023–2271, खरगोन, दिनांक 27–12–2023 को प्रेषित कर दिया गया.

चूंकि, उक्त नोटिस में मान. अधिकरण द्वारा अन्य कोई निर्देश जैसे यथास्थिति अथवा स्थगन नहीं थे, अतः वरिष्ठ न्यायालय/अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण के साथ एक माह की अवधि में आदेश प्रसारित करने की बाध्यता के आधार पर प्रकरण में पुनः निर्णय पारित किए जाने की प्रकिया को मान्य कर उसे विचाराधीन प्रकिया के अंतर्गत रखा गया.

सुनवाई प्रकिया के अनुकम में मत्स्योद्योग सहकारी संस्था जेठवाय अपीलीय न्यायालय (इंदौर) में एक पक्षकार के रूप में संयोजित रही है, जिसके अध्यक्ष ने समक्ष में उपस्थित होकर यह मौखिक प्रार्थना की गई कि प्रकरण व्यापक लोक हित का है तथा प्रकरण में किसी भी स्तर से स्थगन अथवा अन्य निर्देश प्रभावशील नहीं हैं, अतः अपीलीय न्यायालय/संयुक्त रजिस्ट्रार (इंदौर) के प्रभावशील निर्णय के कारण इसे शीघ्र निराकृत किया जाए. उक्त मौखिक कथन निश्चय ही प्रचलित इस प्रकरण में विचार योग्य है.

इसी प्रकार अध्यक्ष पं. दीन दयाल मत्स्योद्योग सहकारी संस्था बलवाडा ने भी लिखित व मौखिक कथन प्रस्तुत कर लेख किया कि वे अपीलीय न्यायालय (इंदौर) एवं मान. अधिकरण में विधिवत् आवेदन पेश कर बतौर हस्तक्षेपकर्ता मान्य हुए हैं तथा इस न्यायिक अधिकारिता से उन्हें खरगोन कार्यालय में प्रचलित इस प्रकरण में पक्ष रखने का अवसर दिया जाए. पृथक से यह भी कथन किया गया कि "अपीलीय न्यायालय इंदौर एवं मान. अधिकरण (भोपाल) द्वारा भी कोई स्थगन आदि नहीं है. अतः प्रभावशील निर्देश कि एक माह में इस प्रकरण का निराकरण जिला खरगोन कार्यालय द्वारा किया जाना है, जो कि किया जाए. इस तर्क को विचार में लिया गया".

उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देने के उपरांत इस प्रकरण में निम्नांकित विधिक तथ्य विचार योग्य पाए जाते हैं :–

1. अपीलीय न्यायालय (इंदौर) का यह निर्देश बाध्यकारी है कि अपील प्रकरण के प्रत्यर्थी क्रमांक (1) को विधिवत् सुने जाने के उपरांत समग्र विचारोपरांत एक माह की अवधि में आदेश प्रसारित किया जाए.

2. मान. अधिकरण में मान्य किए गए हस्तक्षेपकर्ता पं. दीन दयाल मत्स्योद्योग सहकारी संस्था को भी हित संबद्धता के कारण न्यायपूर्ण अवसर प्रदत्त होना चाहिए, जो कि उन्हें प्रदत्त किया जा चुका है.

3. मत्स्य विभाग, खरगोन द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में ये उल्लेखित है कि प्रश्नाधीन संस्था में गैर मछुआ सदस्य हैं, उनके द्वारा मत्स्याखेट का कार्य अन्य ठेकेदारों से कराया जाता है. उक्त स्थिति पर मत्स्य विभाग जो कि मत्स्य सहकारी संस्थाओं के कार्य व्यवसाय के लिए मूल प्रशासनिक विभाग है की अनुशंसा कि प्रश्नाधीन संस्था को समाप्त किया जाए निश्चय ही विचार योग्य है.

उक्त विवेचना के आधार पर पूर्णतः यह समाधान होता है कि " जल मत्स्योद्योग सहकारी संस्था (मर्या.,) बामनपुरी पंजीयन क्रमांक 1435 (पंजीयन दिनांक 9–8–2005) मत्स्य पालन के निहित उद्धेश्यों में पूर्णतः विफल है".

अतएव म.प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (बी/ख) के प्रावधन इस विषयवस्तु पर पूर्णतः आकृष्ट होते हैं. जिसमें यह उल्लेखित है कि "जहाँ रजिस्ट्रार की राय में वह सोसाइटी मुख्यतः किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य करती रही हो".

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, कोऑपरटिव सोरायटीज, एम. पी. सी.एस. एक्ट, 1960 की धारा 69(1) एवं (2) के अधीन जिसकी वैधानिक शक्तियॉ (म.प्र.) शासन सहकारिता विभाग की संदर्भित आधिसूचना (राजपत्र में प्रकाशित) के द्वारा रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसायटीज, मध्यप्रदेश की वैधानिक अधिकारिता प्रदत्त की गई हैं का प्रयोग करते हुए जल मत्स्योद्योग, सहकारी संस्था (मर्या.), बामनपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 1435 (दिनांक 9–8–2005) है को तत्काल प्रभाव से परिसमापन के अंतर्गत लेते हुए परिसामपन प्रकिया की पूर्णता उपरांत विधिवत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने संबंधी दायित्व हेतु श्री राजाराम भट्ट, सहकारी निरीक्षक (जिला कार्यालय सहकारिता विभाग खरगोन) को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 7–2–2024 को विभागीय जिला प्रमुख के वैधानि प्राधिकार के अंतर्गत जारी किया, जो तत्काल प्रभावशील होगा.

(G-776)

अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, उपखण्ड बासौदा, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

श्री रामकृष्ण रामदेव सेवा संस्थान ट्रस्ट, बासौदा
द्वारा अध्यक्ष पंडित श्री हरिनारायण पुत्र स्व. नाथूराम पाठक,
निवासी मकान नंबर–101, वार्ड नंबर–10, गली नंबर–06,
गौशाला रोड, जिला विदिशा (म.प्र.)..... **आवेदक**

बनाम

सर्वसाधारण

समक्ष– पंजीयक लोक न्यास बासौदा.

आवेदक पंडित श्री हरिनारायण पुत्र स्व. नाथूराम पाठक, निवासी–मकान नंबर–101, वार्ड नंबर–10, गली नंबर–06, गौशाला रोड, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा श्री रामकृष्ण रामदेव सेवा संस्थान ट्रस्ट, बासौदा, जिला विदिशा के पंजीयन हेतु (म.प्र.) सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम 1951 के नियम 6 (1) के अंतर्गत निम्नानुसार उपगत परिवर्तन के संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

परिवर्तन की प्रकृति	परिवर्तन के कारण	टिप्पणी, यदि कोई हो
1	2	3
न्यासियों द्वारा त्यागपत्र	1. श्री राजकुमार सेन पुत्र श्री हरचरनलाल सेन, निवासी वार्ड नं.–16, मिर्जापुर मकबरा, गली, बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) **(उपाध्यक्ष)**	ट्रस्ट की बैठक दिनांक 2–2–2024 के निर्णय अनुसार कार्यवाही विवरण अनुसार.
	2. श्री सतीश उपाध्याय पुत्र श्री भगवती प्रसाद, निवासी–वार्ड नं.–23, जवाहर रोड, बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.). **(सदस्य)**	
न्यासियों की नियुक्ति	1. श्री पालकेश चौरसिया पुत्र श्री सुनील कुमार चौरसिया, निवासी–नेहरू चौक, बासौदा, जिला विदिशा म.प्र. **(उपाध्यक्ष)**	
	2. श्री मुकेश साहू पुत्र श्री शंभूदयाल साहू निवासी वार्ड नंबर–23, तिरंगा चौक, बायपास, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) **(सदस्य)**	

अतएव सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रामकृष्ण रामदेव सेवा संस्थान ट्रस्ट, बासौदा, जिला विदिशा के उपरोक्तानुसार कॉलम नं. 01 में अभिलिखित विवरणों अनुसार संशोधन किये जाने में जिस व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से एक माह के अंदर इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें. अन्यथा उक्त संबंध में विधिवत आगामी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी. प्रकरण में सुनवाई दिनांक 18–4–2024 नियत है.

आज दिनांक 21 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

विजय राय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-777)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2023–1540.–इस कार्यालय का आदेश क्रमांक–परिसमापन–2015–731, सीहोर, दिनांक 4–8–2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खनपुरा, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1537, दिनांक 4–3–2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री ए. के. सीठा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 29–7–1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खनपुरा, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1537, दिनांक 4–3–2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खनपुरा, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1537, दिनांक 4–3–2011 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 1 दिसम्बर 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-778)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2023–1541.–इस कार्यालय का आदेश क्रमांक–परिसमापन–2015–731, सीहोर, दिनांक 4–8–2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नेहरुगांव, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1313, दिनांक 30–11–2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री ए. के. सीठा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 29–7–1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नेहरूगांव, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1313, दिनांक 30–11–2005 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नेहरूगांव, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1313, दिनांक 30–11–2005 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 1 दिसम्बर 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-779)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2023–1542.–इस कार्यालय का आदेश क्रमांक–परिसमापन–2015–731, सीहोर, दिनांक 4–8–2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शाहगंज, तहसील बुदनी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1268, दिनांक 6–1–2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री ए. के. सीठा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 29–7–1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शाहगंज, तहसील बुदनी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1268, दिनांक 6–1–2004 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शाहगंज, तहसील बुदनी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1268, दिनांक 6–1–2004 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 1 दिसम्बर 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-780)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2023–1543.–इस कार्यालय का आदेश क्रमांक–परिसमापन–2015–731, सीहोर, दिनांक 4–8–2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भड़कुल, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1264, दिनांक 9–10–2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री ए. के. सीठा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 29–7–1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भड़कुल, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1264, दिनांक 9–10–2003 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भड़कुल, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1264, दिनांक 9–10–2003 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 1 दिसम्बर 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-781)

सीहोर, दिनांक 29 दिसम्बर 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2023–1642.–इस कार्यालय का आदेश क्रमांक–परिसमापन–2022–306, सीहोर, दिनांक 15–2–2022 के द्वारा प्रयांश क्रेडिट को–ऑपरेटिव साख सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोर, तहसील व जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1818, दिनांक 6–5–2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 29–7–1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार प्रयांश क्रेडिट को–ऑपरेटिव साख सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोर, तहसील व जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1818, दिनांक 6–5–2015 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से प्रयांश क्रेडिट को–ऑपरेटिव साख सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोर, तहसील व जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1818, दिनांक 6–5–2015 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-782)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2023–1643.–इस कार्यालय का आदेश क्रमांक–परिसमापन–2022–342, सीहोर, दिनांक 9–3–2022 के द्वारा आस्था क्रेडिट को–ऑपरेटिव साख सहकारी संस्था मर्यादित, आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1695, दिनांक 16–11–2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 29–7–1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार आस्था क्रेडिट को–ऑपरेटिव साख सहकारी संस्था मर्यादित, आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1695, दिनांक 16–11–2013 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से आस्था क्रेडिट को–ऑपरेटिव साख सहकारी संस्था मर्यादित, आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1695, दिनांक 16–11–2013 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-783)

सीहोर, दिनांक 26 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–230.–इस कार्यालय का आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–819, सीहोर, दिनांक 6–6–2023 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ओडिया, तहसील बुदनी, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1267, दिनांक 16–1–2004 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार जैन, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 29–7–1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ओडिया, तहसील बुदनी, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1267, दिनांक 16–1–2004 का पंजीयन निरस्त करता हूँ इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ओडिया, तहसील बुदनी, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1267, दिनांक 16–1–2004 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-784)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–231.–इस कार्यालय का आदेश क्रमांक–परिसमापन–2021–873, सीहोर, दिनांक 8–10–2021 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मकोड़िया कीर, तहसील रेंहटी, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1454, दिनांक 22–10–2009 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार जैन, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 29–7–1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मकोड़िया कीर, तहसील रेंहटी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1454, दिनांक 22–10–2009 का पंजीयन निरस्त करता हूँ इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मकोड़िया कीर, तहसील रेंहटी, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1454, दिनांक 22–10–2009 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-785)

सीहोर, दिनांक 26 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–232.–इस कार्यालय का आदेश क्रमांक–परिसमापन–2021–872, सीहोर, दिनांक 8–10–2021 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सातदेव, तहसील रेंहटी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1671, दिनांक 29–9–2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार जैन, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 29–7–1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सातदेव, तहसील रेंहटी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1671, दिनांक 29–9–2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सातदेव, तहसील रेंहटी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1671, दिनांक 29–9–2012 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-786)

सीहोर, दिनांक 17 जनवरी 2024

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–75.–मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जाजनखेड़ी, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1351 तथा दिनांक 7–12–2006 है. संस्था प्रशासक द्वारा लिखित में दिया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है एवं इनके निकट भविष्य में चालू होने की संभावना नहीं है तथा संस्था पर्यवेक्षक द्वारा भी लिखित में इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि संस्था वर्ष 2022–23 से अकार्यशील होकर बंद है एवं संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है. ऐसी स्थिति में संस्था के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है. अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जाजनखेड़ी, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया. अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69–2 (क) एवं धारा 69–2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं. इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप–रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जाजनखेड़ी, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1351, तथा दिनांक 7–12–2006 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध

कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जाजनखेड़ी, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1351, तथा दिनांक 7–12–2006 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17 जनवरी 2024 को जारी किया गया.

(G-787)

सीहोर, दिनांक 18 जनवरी 2024

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–90.–मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दरखेड़ा, तहसील जावर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 717 तथा दिनांक 16–7–1976 है. संस्था प्रशासक द्वारा लिखित में दिया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है एवं इनके निकट भविष्य में चालू होने की संभावना नहीं है. ऐसी स्थिति में संस्था के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है. अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दरखेड़ा, तहसील जावर, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया. अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69–2 (क) एवं धारा 69–2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं. इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दरखेड़ा, तहसील जावर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 717 तथा दिनांक 16–7–1976 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दरखेड़ा, तहसील जावर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 717 तथा दिनांक 16–7–1976 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 18 जनवरी 2024 को जारी किया गया.

(G-788)

सीहोर, दिनांक 21 फरवरी 2024

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–219.–मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बारवाखेड़ी, तहसील व जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1226 तथा दिनांक 22–4–2003 है. संस्था प्रशासक द्वारा लिखित में दिया गया है कि संस्था विगत 10 माह से अकार्यशील होकर बंद है एवं इनके निकट भविष्य में चालू होने की संभावना नहीं है. ऐसी स्थिति में संस्था के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है. अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बारवाखेड़ी, तहसील व जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया. अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69–2 (क) एवं धारा 69–2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं. इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बारवाखेड़ी, तहसील व जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1226 तथा दिनांक 22–4–2003 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बारवाखेड़ी, तहसील व जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1226 तथा दिनांक 22–4–2003 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 21 फरवरी 2024 को जारी किया गया.

(G-789)

सीहोर, दिनांक 6 मार्च 2024

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–258.–मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतोरनिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1616 तथा दिनांक 26–7–2012 है. संस्था प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु संस्था सचिव एवं संस्था पर्यवेक्षक से सम्पर्क किया गया. संस्था पर्यवेक्षक द्वारा लिखित में सूचित गया है कि संस्था गत 01 वर्ष से अकार्यशील है. संस्था के निर्वाचन हेतु संस्था अध्यक्ष एवं संस्था सचिव से सम्पर्क किया गया किन्तु उनके द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु सम्पर्क नहीं किया जा रहा है. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है. अतः इस प्रकार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतोरनिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया. अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69–2 (क) एवं धारा 69–2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं. इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप–रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत् महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतोरनिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1616 तथा दिनांक 26–7–2012 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतोरनिया,

तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1616 तथा दिनांक 26–7–2012 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 6 मार्च 2024 को जारी किया गया.

(G-790)

सीहोर, दिनांक 6 मार्च 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–259.–मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धौलपुर, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1661 तथा दिनांक 29–9–2012 है. संस्था प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु संस्था सचिव एवं पर्यवेक्षक से सम्पर्क किया गया, संस्था पर्यवेक्षक द्वारा बताया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है. संस्था के सदस्य, संस्था को दूध प्रदाय नहीं कर रहे है और न ही संस्था के निर्वाचन कार्य में रूचि ले रहे है. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है. अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धौलपुर, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया. अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69–2 (क) एवं धारा 69–2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं. इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप–रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धौलपुर, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1661 तथा दिनांक 29–9–2012 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धौलपुर, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1661 तथा दिनांक 29–9–2012 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 6 मार्च 2024 को जारी किया गया.

(G-791)

सीहोर, दिनांक 6 मार्च 2024

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–260.–मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हीरापुर, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1205 तथा दिनांक 30–11–2002 है. संस्था अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त पत्र दिनांक 12–2–2024 से संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि समिति में सदस्यों द्वारा दूध प्रदाय नहीं किया जा रहा है. इस कारण समिति निर्वाचन कराने में असमर्थ है तथा प्रशासक द्वारा भी लिखित में अवगत कराया गया है कि संस्था के निर्वाचन हेतु संस्था के सचिव से सम्पर्क किया गया. संस्था अकार्यशील होकर संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है तथा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है. अतः इस प्रकार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हीरापुर, तहसील आष्टा, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया. अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69–2 (क) एवं धारा 69–2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं. इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप–रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत् महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हीरापुर, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1205 तथा दिनांक 30–11–2002 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हीरापुर, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1205 तथा दिनांक 30–11–2002 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 6 मार्च 2024 को जारी किया गया.

(G-792)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–261.–मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

कृषि महाविद्यालयीन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोर, तहसील व जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 776 तथा दिनांक 4–4–1980 है. संस्था अध्यक्ष द्वारा पत्र दिनांक 11–10–2023 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि संस्था के अधिकांश सदस्यों का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके परिवार के सदस्य (वारिसान) संस्था के सदस्य बनने के इच्छुक नहीं है तथा संस्था द्वारा, संस्था को नगर पालिका, सीहोर को विधिवत हस्तांतरित करने का प्रस्ताव संचालक मण्डल द्वारा किया गया है. अतः संस्था निर्वाचन नहीं कराना चाह रही है तथा संस्था प्रशासक द्वारा प्रस्तुत अभिमत अनुसार संस्था चुनाव नहीं कराना चाहती है व संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा. ऐसी स्थिति में संस्था के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है. अतः इस प्रकार कृषि महाविद्यालयीन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोर, तहसील व जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया. अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69–2 (क) एवं धारा 69–2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं. इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत कृषि महाविद्यालयीन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोर, तहसील व जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 776 तथा दिनांक 4–4–1980 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित

आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए कृषि महाविद्यालयीन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोर, तहसील व जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 776 तथा दिनांक 4–4–1980 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 6 मार्च 2024 को जारी किया गया.

(G-793)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–262.–मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1532 तथा दिनांक 7–2–2011 है. संस्था प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु संस्था सचिव एवं संस्था पर्यवेक्षक से सम्पर्क किया गया. संस्था पर्यवेक्षक द्वारा लिखित में सूचित किया गया है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है. संस्था सचिव द्वारा संस्था को चालू करने में रूचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है. संस्था प्रशासक एवं संस्था पर्यवेक्षक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है. अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया. अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69–2 (क) एवं धारा 69–2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं. इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1532 तथा दिनांक 7–2–2011 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1532 तथा दिनांक 7–2–2011 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 6 मार्च 2024 को जारी किया गया.

(G-794)

सीहोर, दिनांक 2 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–124.–मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हिंगोनी, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1809 तथा दिनांक 10–11–2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के

तहत् कारण बताओ सूचना–पत्र क्रमांक–परिसमापन–2023–520, सीहोर, दिनांक 26–4–2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हिंगोनी, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें

यह आदेश आज दिनांक 1 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-795)

सीहोर, दिनांक 2 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–125.–दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कल्याणपुरा, तहसील इछावर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1395 तथा दिनांक 13–3–2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना–पत्र क्रमांक–परिसमापन–2023–521, सीहोर, दिनांक 26–4–2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कल्याणपुरा, तहसील इछावर, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें

यह आदेश आज दिनांक 1 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-796)

सीहोर, दिनांक 20 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–209.–उपकार बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, लंगापुरा, आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1329 तथा दिनांक 28–1–2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत्

कारण बताओ सूचना–पत्र क्रमांक–परिसमापन–2023–21, सीहोर, दिनांक 5–1–2024 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, उपकार बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, लंगापुरा आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-797)

सीहोर, दिनांक 20 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–210.–आर्शीवाद बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, मोमनपुरा, आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1328 तथा दिनांक 28–1–2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना–पत्र क्रमांक–परिसमापन–2023–22, सीहोर, दिनांक 5–1–2024 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, आर्शीवाद बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, मोमनपुरा आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री जतिन गाचलें, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-798)

सीहोर, दिनांक 20 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–211.–दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दरखेड़ा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन

क्रं. 717 तथा दिनांक 16–7–1976 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना–पत्र क्रमांक–परिसमापन–2024–90, सीहोर, दिनांक 18–1–2024 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दरखेड़ा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-799)

सीहोर, दिनांक 20 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–212.–आजाद बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, अलीपुर, आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1541 तथा दिनांक 5–5–2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना–पत्र क्रमांक–परिसमापन–2023–1633, सीहोर, दिनांक 27–12–2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, आजाद बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, अलीपुर, आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री डी. के. आर्य, उप–अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-800)

सीहोर, दिनांक 20 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–213.–दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मुरावर, तहसील जावर, जिला सीहोर का पंजीयन

क्रं. 967 तथा दिनांक 9–11–1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना–पत्र क्रमांक–परिसमापन–2023–17, सीहोर, दिनांक 5–1–2024 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मुरावर, तहसील जावर, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप–अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-801)

सीहोर, दिनांक 21 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–216.–दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खानदौरपुरा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 957 तथा दिनांक 6–11–1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना–पत्र क्रमांक–परिसमापन–2023–1607, सीहोर, दिनांक 22–12–2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खानदौरपुरा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री डी. के. आर्य, उप–अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें

यह आदेश आज दिनांक 21 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-802)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–217.–दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जाजनखेड़ी, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1351 तथा दिनांक 7–12–2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत्

कारण बताओ सूचना–पत्र क्रमांक–परिसमापन–2024–75, सीहोर, दिनांक 17–1–2024 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जाजनखेड़ी, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें

यह आदेश आज दिनांक 21 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-803)

सीहोर, दिनांक 21 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–218.–दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पीपल्या, तहसील बुदनी, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1239 तथा दिनांक 6–6–2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना–पत्र क्रमांक–परिसमापन–2023–16, सीहोर, दिनांक 5–1–2024 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पीपल्या, तहसील बुदनी, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें

यह आदेश आज दिनांक 21 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक.

(G-804)

कार्यालय, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 14 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–क्यू.–उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., झिरनिया	भैरूंदा	1606 / 28–3–2012	1134 / 14–8–2023
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बोरना	भैरूंदा	1690 / 29–9–2012	1597 / 20–12–2023
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सुनेड़	भैरूंदा	1716 / 26–8–2023	1135 / 14–8–2023
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., झाली	भैरूंदा	1852 / 3–1–2017	1380 / 6–10–2023
5.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., तिल्लोट	बुदनी	1749 / 13–2–2014	19 / 5–1–2024

अतः, मैं विनोद कुमार जैन, उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना–पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य / सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-805) **विनोद कुमार जैन,** उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 14 मार्च 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–क्यू.–सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 1961, दिनांक 6–7–2023, आदेश क्रमांक 257, दिनांक 28–2–2024, आदेश क्रमांक 258, दिनांक 28–2–2024 एवं आदेश क्रमांक 259, दिनांक 28–2–2024 से मुझे निम्नलिखित संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नरेड़ीपाता (तहसील खाचरौद).	1995 / 1–1–2015	1961 / 6–7–2023
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उचाहेड़ा (तहसील खाचरौद).	2251 / 1–10–2015	1961 / 6–7–2023

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मालीखेड़ी (तहसील खाचरौद).	2249 / 1–10–2015	1961 / 6–7–2023
4.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बेहलोला (तहसील खाचरौद).	2250 / 1–10–2015	1961 / 6–7–2023
5.	वनखेतिहर मजदूर कामगार तथा कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, रूपेटा.	1206 / 4–8–1994	257 / 28–2–2024
6.	त्रिवेणी जैविक एवं उद्यानिकी सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	2321 / 14–9–2016	258 / 28–2–2024
7.	यश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, उज्जैन	1795 / 25–8–1980	259 / 28–2–2024

अतः, मैं, एस एल. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति / संस्था का कोई लेना–देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे / आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे / आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति / सदस्यों / भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल–अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 14 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(G-806) **एस. एल. चौहान,** परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक, डिफेन्स पर्सनल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, मध्यप्रदेश

दिनांक 31 जनवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–क्यू.–डिफेन्स पर्सनल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 531, दिनांक 22–7–1989 है, को उप रजिस्ट्रार / सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक–2021–1259, दिनांक 30–6–2021 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापन नियुक्त किया गया है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 31–1–2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-807) **के. एल. कोरी,** स.नि. एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाऐं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 2 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–क्यू.–1.–कार्यालय उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया हैः–

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गांधी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., धनपुर	38/8–7–2014	280/6–5–2015
2.	मलगढ़ महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मालवाई	37/8–7–2014	270/6–5–2015
3.	सरस्वती महिला साख सहकारी संस्था मर्या., जवानीया	38/8–7–2014	271/2–5–2015
4.	समदि सामुदायिक साख सहकारी संस्था मर्या., थोडसिंधी	82/13–7–2017	576/17–7–2023

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरूद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 2 फरवरी 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-808) **नेहा रायकवार राठौर,** परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2024–क्यू.–1.–कार्यालय उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया हैः–

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आदिवासी ईट कवेलु निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, घोघसिया	537/24–4–1984	443/16–9–2010
2.	श्रीनाथ साख सहकारी संस्था मर्यादित, अलीराजपुर	73/18–10–2016	568/17–7–2023
3.	आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धामन्दा	49/8–7–2014	276/6–5–2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरूद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन

के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 2 फरवरी 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

राहुल चौहान, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(G-809)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 20 मार्च 2024

क्र.–परि.–2024–261.–कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2020/895, शहडोल, दिनांक 24–9–2020 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खारी, जिला शहडोल पंजीयन क्रमांक/883 दिनांक 30–10–1995 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त परिसमापक की कार्यवाही से संतुष्ट होकर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सीपीएस भदौरिया, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थायें, शहडोल मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.–एफ–5–1–99, पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था का निगम निकाय/कारपोरेट बॉडी समाप्त करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खारी, जिला शहडोल पंजीयन क्रमांक/883, दिनांक 30–10–1995 का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-810)

क्र.–परि.–2024–262.–कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2017/1398, शहडोल, दिनांक 4–12–2017 द्वारा गौमाता दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पपरेडी, जिला शहडोल जिसका पंजीयन कमांक/1171, दिनांक 30–11–2015 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री अजय कुमार दुबे, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त परिसमापक की कार्यवाही से संतुष्ट होकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सीपीएस भदौरिया, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, शहडोल मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.–एफ–5–1–99, पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था का निगम निकाय/कारपोरेट बॉडी समाप्त करते हुए गौमाता दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पपरेडी, जिला शहडोल पंजीयन कमांक/1171, दिनांक 30–11–2015 का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-811)

क्र.–परि.–2024–263.–कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2020/895, शहडोल, दिनांक 24–9–2020 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मैरटोला, जिला शहडोल जिसका पंजीयन कमांक/928, दिनांक 27–9–1996 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त परिसमापक की कार्यवाही से संतुष्ट होकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सीपीएस भदौरिया, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, शहडोल मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.–एफ–5–1–99, पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था का निगम निकाय/कारपोरेट बॉडी समाप्त करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मैरटोला, जिला शहडोल पंजीयन कमांक/928, दिनांक 27–9–1996 का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-812) **सीपीएस भदौरिया,** उप पंजीयक.

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 26 फरवरी 2024

क्र.–162–बस–स्टैण्ड–2024 मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेश राठोड, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, इन्दौर संभाग, इन्दौर से डबलचौकी, खातेगांव, चापड़ा, कन्नोद, नेमावर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल इत्यादि शहरों की ओर आने–जाने वाली प्रक्रम (Stage Carrige) वाहनों में यात्रियों को बैठाने एवं उतारने के लिए जन सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से स्थान–नायता मुण्डला स्थित इन्दौर, (ISBT) के केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 117 के अंतर्गत "बस स्टेण्ड" अधिसूचित घोषित करता हूँ.

(G-813)

क्र.–163–बस–स्टैण्ड–2024 इस प्राधिकार की अधिसूचना क्रमांक 19755/आर.टी.ए./93, दिनांक18 जनवरी 1993 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 117 में विहित प्रावधान के पालन में इन्द्रा कॉम्पलेक्स स्थित नवलखा बस स्टैण्ड को अधिसूचित घोषित किया गया है. अब एतद्द्वारा इन्द्रा कॉम्पलेक्स स्थित नवलखा बस स्टैण्ड को गैर–अधिसूचित घोषित करता हूँ.

(G-814) **राजेश राठोड,** क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल 2024–चैत्र 23, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.